



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.57(1)आरबी/2023/ 1021
दिनांक : 25 फरवरी, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5401–5402, दिनांक 08 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से डॉ. कुसुमलता भंडारी को कार्यभारी संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

डॉ. कुसुमलता भंडारी का आकस्मिक निधन होने एवं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2023 की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से (डॉ.) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (Stop-gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता./—

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं
कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.57(1)आरबी/2023/ 1022

दिनांक : 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. (डॉ.) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुलसचिव, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।



सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान